राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला.171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152

संख्याः– रा0नि0आ0(G)6–5/2020–8773 शिमला–171 002 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K व 243 ZA के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के आगामी निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकेंगे जो कोविड–19 पॉजिटिव केस हों, या पृथक आवास में (Quarantined) हों। ऐसे रिपोर्ट किये गये व्यक्ति/व्यक्तियों की स्वयं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए तथा समाज के अन्य नागरिकों को जोखिम से बचाने के लिए, ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया विहित करने की आवश्यकता है;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K तथा 243ZA व तत्सम्बन्धी सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा पंचायतों व शहरी निकायों में मतदान से एक दिन पूर्व ही कोविड–19 पॉजिटिव तथा पृथक आवास (Quarantined) व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित उप–मण्डल अधिकारी एवं

इस हेतू नियुक्त ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। मतदाता से सम्पर्क हेतू ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का पूरा पता तथा मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त सूचना उप–मण्डल अधिकारी सम्बन्धित मतदान दलों को उपलब्ध करायेंगे।
3. ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए या पृथक आवास (Quarantined) मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी/पटवारी/पंचायत सचिव आदि को किसी सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क करने हेतू निर्देशित करेगा। वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा। यदि वह मतदान की इच्छा जाहिर करता है तो उसे कोविड–19 सुरक्षा के प्रोटोकॉल से अवगत करवाया जाएगा जिससे कि वह उचित सामाजिक दूरी के साथ मतदान केन्द्र पहुँचे! साथ ही उसे उसके लिए स्थापित मतदान की प्रक्रिया तथा मतदान के लिए तय समय की भी जानकारी दी जाएगी और उसे अपने साथ पहचान के लिए आधार कार्ड या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र लाने को कहा जाएगा।
4. कोविड–19 पॉजिटिव व पृथक आवास (Quarantined) मतदाताओं की सुचारु मतदान के लिए उचित रहेगा कि स्वास्थ्यकर्मी, पटवारी या पंचायत सचिव द्वारा ऐसे मतदाताओं से समय रहते ही सम्पर्क करना शुरु करें ताकि ऐसे मतदाताओं की संख्या को लेकर अनिश्चितता न रहे। इसके लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा समय पर ऐसे मतदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए।
5. उपरोक्त श्रेणी के जिन मतदाताओं द्वारा मतदान की इच्छा जाहिर की गई है, सम्बन्धित ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनका ब्यौरा सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) को मतदान के एक दिन पहले

उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का मतदान सबसे अन्त में करवाया जायेगा। जब सभी सामान्य मतदाता मतदान कर चुके हों तो तत्पश्चात् मतदान दल के सदस्यों/पोलिंग एजेन्टस को छोड़कर शेष सभी को मतदान केन्द्र से दूर जाने को कहा जाएगा! तत्पश्चात्, पहले पृथक आवास (Quarantined) मतदाताओं को मतदान का मौका दिया जाएगा, और फिर कोविड–19 पॉजिटिव मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा। इन मतदाताओं को एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाते हुए अलग–अलग पंक्ति बनाने को कहा जाएगा। पृथक आवास (Quarantined) मतदाताओं के लिए अलग तथा कोविड–19 पॉजिटिव मतदाताओं के लिए अलग से पंक्ति बनाई जाएगी।

6. यदि उपरोक्त श्रेणी के किसी मतदाता द्वारा स्वास्थ्य कर्मी, पटवारी या पंचायत सचिव द्वारा पूर्व में सम्पर्क करने पर उनके द्वारा मतदान की इच्छा जाहिर नहीं की गई तथा कोविड–19 या पृथकवास में रह रहे मतदाताओं की जानकारी पहले शून्य दी गयी हो तो भी मतदान दल को ऐसे मतदाताओं के मतदान के लिए पूरी तैयारी रखी जाएगी। यदि मतदान के दिन इस श्रेणी का कोई मतदाता मतदान केन्द्र में आता है तो निर्धारित नियमों के अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी।
7. उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं के लिए मतदान का समय मतदान दिवस पर सांय 4 बजे के बाद होगा। सांय 4 बजे सामान्य मतदाताओं के द्वारा मतदान सामाप्ति के पश्चात् उक्त मतदाताओं द्वारा मतदान आरम्भ होगा।
8. स्वास्थ्यकर्मी PPE Kit पहन कर दूर से ही इन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करेगा जिसके लिए सभी मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया हो, दूर से दिखा सकते हैं।

9. ऐसे मतदाताओं के मतदान शुरु करने से पूर्व दोनों मतपेटियॉ मतदान केन्द्र के द्वार पर मेज पर रखी जाएगी। इस दौरान पीठासीन अधिकारी व सुरक्षा कर्मी मतपेटियों से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहेंगे तथा सुरक्षा कर्मी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को मतदान केन्द्र तथा मतपेटी के समीप आने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि अभ्यर्थियों के मतदान एजेन्ट दूर से इस मतदान प्रक्रिया को देख सकते हैं।

10. पहचान सुनिश्चित होने के उपरान्त स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ऐसे मतदाताओं को Face shield तथा Gloves पहनने को दिये जाएंगे तथा बारी–बारी से मतपत्र व Arrow Cross mark seal उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके पश्चात् उन्हें मतपत्रों पर मोहर लगाने के उपरान्त उनको तहकर सम्बन्धित मतपेटी में डालने को कहा जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त मतदान के समय मतदान की गुप्तता (secrecy of vote) का पूर्ण ध्यान रखा जाए। पहले पृथक आवास (Quarantined) मतदाताओं को मतदान करवाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी द्वारा प्रत्येक मत के बाद Arrow Cross Mark Seal को senitize किया जाएगा। सबसे अन्त में कोविड–19 पॉजिटिव मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा।

11. कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गए तथा पृथक आवास में रह रहे व्यक्ति, स्वास्थ्य कर्मियों की देख–रेख में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल/निर्देश एवं इस सम्बन्ध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान करेंगे। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलब्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगें। कॉविड पॉजिटिव व पृथकवासी व्यक्ति को उपलब्ध करवाये गए गलब्ज खुले में नहीं फैंके

जाएंगें। निर्वाचन डियूटी पर नियुक्त चिकित्सा कर्मी सुनिश्चित करेंगें कि ऐसे गलब्ज को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नष्ट (Dispose off) किया जाए।

12. स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक से अवगत करायेगा। उसकी पहचान के लिए Mask नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी मतपत्र के प्रतिपर्ण पर (Counterfoil) इस आशय् का नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा।

13. ऐसे पृथक आवास (Quarantined) तथा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी उंगली पर अमिट स्याही लगाए जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

14. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी मतदान केन्द्रों तथा मतगणना केन्द्रों पर Covid Waste Disposal सम्बन्धी दिशा–निर्देश सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मी को दिए जाएंगे जिससे कि Waste Disposal सरकार द्वारा तत्सम्बंधी तय् नियमों के अनुसार किया जाए।

15. **कॉविड पॉजिटिव/पृथक आवास/symptomatic मतदाताओं द्वारा EVM द्वारा मतदान सम्बन्धी निर्देशः–**

- उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं द्वारा EVM द्वारा मतदान के लिए भी उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की क्रम संख्या एक से आठ में दिए गए दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं द्वारा मतदान आरम्भ होने से पहले मतदान केन्द्र में स्वास्थ्य कर्मी PPE Kit पहनेगा।

- उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मी द्वारा PPE Kit पहनने के पश्चात् सभी औपचारिकताएं मतदान केन्द्र के बाहर पूर्ण की जाएगी।
- पृथक आवास/कॉविड पॉजिटिव मतदाताओं के लिए सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पृथक–पृथक पंक्तियॉ बनाई जाएगी।
- ऐसे पृथक आवास (Quarantined) तथा कॉविड पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाताओं द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी उंगली पर अमिट स्याही लगाये जाने की एवं मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
- उपरोक्त श्रेणी मतदाताओं की पहचान स्थापित होने के पश्चात् मतदान केन्द्र पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी ऐसे मतदाताओं को पहनने के लिए Face Shield एवं दस्ताने (Gloves) देगा तथा एक–एक करके मतदान केन्द्र के अन्दर ले जाएगा।
- जिस समय उपरोक्त श्रेणी के मतदाता को मतदान कक्ष में ले जाया जाएगा उस समय पीठासीन अधिकारी तथा स्वास्थ्य कर्मी को छोड़कर यदि अन्य कोई पोलिंग कर्मचारी मतदान कक्ष से बाहर जाना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।
- पीठासीन अधिकारी मशीन को मतदान के लिए तैयार करेगा और उपरोक्त श्रेणी के मतदाता को सीधा पोलिंग कम्पार्टमैंट में जाकर मतदान के लिए कहेगा।
- मतदान समाप्ति के पश्चात् स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मतदाताओं को गलब्ज निर्धारित कूड़ादान में फैंकने के लिए कहा जाएगा।
- उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं के दौरान स्वास्थ्य कर्मी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता मतदान केन्द्र में किसी भी वस्तु को अनावश्यक स्पर्श न करें।

➢ पीठासीन अधिकारी, मतदान दल के अन्य सदस्य तथा पोलिंग ऐजेन्ट आदि मतदाता से उचित सामाजिक दूरी बनाए रखेंगें।

आदेश द्वारा
राज्य चुनाव आयुक्त
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 002

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त 8774-8976 शिमला–171 002 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश।
3. सचिव (पंचायती राज विभाग) हिमाचल प्रदेश।
4. सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश।
5. महानिदेशक, पुलिस सेवाएं हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक (पंचायती राज विभाग) हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त उपायुक्त एवम् जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरपालिका) हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त जिला हिमाचल प्रदेश।
11. समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवम् सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
12. समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0) हिमाचल प्रदेश।
13. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
14. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

सु0 राठौर 29.12.20
(सुरजीत सिंह राठौर)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 002